गाँधी मैदान, पटना में "डिजनीलैण्ड मेला" (माह दिसम्बर–2026 से जनवरी–2027) के आयोजन हेतु भू–भाग आवंटित किये जाने से संबंधित नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions) :–

1. गाँधी मैदान, पटना के गेट नं० 7 के निकट **निर्धारित 70,000** (280'×250') **वर्गफीट भू–भाग (अनुमोदित नजरी नक्शा संलग्न)** में **"डिजनीलैण्ड मेला"** आयोजन के निमित्त **आरक्षण योग्य देय संभावित तिथि दिनांक 01.12.2026 से अंतिम तिथि दिनांक 10.01.2027 (कुल 41 दिन) तक** उक्त भू–भाग के आरक्षण हेतु **दिनांक 30.11.2026 को अपराह्न 03.00 बजे डाक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता का चयन किया जाना है।** अतएव इच्छुक आयोजकों को उक्त डाक प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी संस्था के Letter Pad पर आवेदन के साथ उक्त मेला से संबंधित वांछित दस्तावेज (डिमांड ड्रॉफ्ट सहित) को श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में **दिनांक 30.11.2026 के मध्याह्न 12:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।**

2. आयोजक को उनकी संस्था के Letter Pad पर समर्पित किये जाने वाले आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज/बैंक ड्रॉफ्ट समर्पित करना **अनिवार्य** है, अन्यथा उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

(i.) निबंधन शुल्क के रुप में 1,000/– रु० का **डिमांड ड्रॉफ्ट** 'SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI' के पक्ष में, जो **Non-refundable** होगा।

(ii.) संस्था/फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्राधिकृत आवेदक का AADHAR, वैध (Valid) **आवासीय प्रमाण–पत्र** एवं संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत वैध (Valid) **आचरण प्रमाण–पत्र,** जो सूचना प्रकाशन की तिथि से छः (06) माह से अधिक पुराना न हो, की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(iii.) संस्था/फर्म का PAN, GST निबंधन की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(iv.) संस्था/फर्म को विगत दो वित्तीय वर्षों (2024–25 तथा 2025–26) का Income Tax Return समर्पित करना होगा।

(v.) कम–से–कम विगत 03 वर्षों का डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन का अनुभव संबंधी दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(vi.) डिजनीलैण्ड मेला में लगाये जाने वाले सभी सुरक्षित झूलों का वैध Fitness Certificate की स्वअभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा। Fitness Certificate के सत्यता की जाँच हेतु आयोजक Fitness Certificate की मूल प्रति को डाक बैठक के दौरान कमिटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(vii.) डिजनीलैण्ड मेला में लगाये जाने वाले सुरक्षित झूलों का अद्यतन Insurance Certificate की स्वअभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।

(viii.) संस्था/फर्म EPF एवं ESIC का निबंधन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित करना होगा।

(ix.) डिजनीलैण्ड मेले में किसी प्रकार का नृत्य आदि से संबंधित कोई कार्यक्रम संचालित नहीं कराये जाने, किसी भी प्रकार के जोखिम भरे करतब जैसे **"मौत का कुँआ"**/खतरनाक झूले नहीं लगाये जाने एवं उक्त मेले हेतु आयोजक द्वारा समर्पित किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेजों की सत्यता से संबंधित तथा संस्था/फर्म किसी भी राज्य/विभाग के काली सूची में नाम दर्ज न हो, से संबंधित **शपथ प्रमाण–पत्र** (Affidavit) मूल में समर्पित करना होगा।

(x.) डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन हेतु उक्त संभावित अवधि के लिए गाँधी मैदान, पटना के 70,000 वर्गफीट भू–भाग (280'×250') के आरक्षण हेतु व्यावसायिक दर पर संगणित राशि **मो० 52,50,550/– (बावन लाख पचास हजार पाँच सौ पचास) रू०** को **सुरक्षित राशि (Reserved amount)** के रूप में "SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI" **के पक्ष में आवेदन के साथ बैंक ड्रॉफ्ट** जमा करना अनिवार्य है।

(xi.) सुरक्षित जमा राशि **(Reserved amount)** हेतु जमा किये जाने वाले **बैंक ड्रॉफ्ट** पर आवेदनकर्त्ता **संस्था/प्रोपराईटर** का **नाम अंकित** होना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यालय द्वारा **बैंक ड्रॉफ्ट की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।**

(xii.) आयोजक द्वारा डिजनीलैण्ड मेले में लगाये जाने वाले झूलों का प्रकार, विवरणी, संख्या इत्यादि को प्रस्तुत करना होगा।

3. **डिजनीलैण्ड मेला में आने वाले आमजनों के सुलभ आवागमन एवं भीड़भाड़ के प्रबंधन के दृष्टिगत निःशुल्क वाहन की पार्किंग की व्यवस्था, Volunteer रखकर आयोजक अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।**

4. डिजनीलैण्ड मेले के आयोजन हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा राशि (reserve amount) के ऊपर अधिकतम बोली (H1) लगाने वाले किसी 01 (एक) आयोजक को उच्चतम डाक बोली राशि में से शेष अंतर राशि को जमा किये जाने एवं जिला नियंत्रण कक्ष, पटना से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) प्राप्त होने के उपरांत ही डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन हेतु आरक्षण आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन हेतु अधिकतम डाक बोली राशि में शेष अंतर राशि बैंक ड्रॉफ्ट/ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किये जाने हेतु **अधिकतम पाँच (05) कार्यदिवस का समय (सार्वजनिक अवकाश/बैंक अवकाश को छोड़कर)** दिया जायेगा अथवा इस सबंध में डाक कमिटी की जो भी अनुशंसा होगी, उसके अनुसार भू–भाग आवंटित किया जायेगा।

6. यदि उच्चतम डाकवक्ता (H1) द्वारा डाक बोली की शेष अंतर राशि ससमय कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है एवं न ही इस संदर्भ में कोई सूचना दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उच्चतम डाकवक्ता (H1) के सुरक्षित जमा राशि (Reserved Amount) को जब्त करते हुए (H2) आयोजक को उक्त मेला के आयोजन हेतु अवसर दिया जायेगा।

7. चयनित **उच्चतम डाक वक्ता (H1) आयोजक** को डिजनीलैण्ड मेला में झूले आदि का अधिष्ठापन किये जाने तथा मेला संचालन के कम–से–कम 03 दिनों पूर्व लिखित आवेदन के माध्यम से श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति कार्यालय को सूचित करना होगा, जिससे कि डिजनीलैण्ड मेला के संचालन कमिटी द्वारा मेला में लगे सभी प्रकार के झूले (विशेषकर बड़े झूले) आदि का Technical/Physical Verification किया जा सके।

8. चयनित उच्चतम डाक वक्ता आयोजक को डिजनीलैण्ड मेला संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण एवं आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण को हटाये जाने हेतु आरक्षण आदेश में वर्णित अवधि तक ही दिया जायेगा।

9. आयोजक द्वारा आरक्षण आदेश में निर्धारित समयावधि में डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना/सामान आदि आवंटित भू–भाग से नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

10. डाक प्रकिया में भाग लेने वाले अन्य आयोजकों को उनके द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि (reserve amount) का बैंक ड्रॉफ्ट उच्चतम डाक वक्ता (H1) आयोजक के चयनोपरांत उनके संस्था के Letterpad पर आवेदन के साथ सम्बद्ध संस्था प्रोपराईटर/प्रतिनिधि के ID Proof की छायाप्रति कार्यालय में प्राप्त कर लौटा दिया जायेगा।

11. निर्धारित अवधि में परिवर्तन/अवधि विस्तार करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. लोकहित/जनहित एवं किसी भी अन्य कारणों तथा किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण/निविदा/डाक को रद्द करने का अधिकार आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना–सह–अध्यक्ष, श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति को सुरक्षित रहेगा।

ह०/–
जिला पदाधिकारी, पटना–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना।

दैनिक भास्कर
देश का नंबर 1 अखबार
सप्ताह की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ
दैनिक भास्कर पटना, सोमवार, 23 नवंबर, 2026 4

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना

श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति

–: आम सूचना :–

अतिअल्पकालीन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गाँधी मैदान, पटना के गेट नं० 7 के दायें एवं बायें ओर निर्धारित 18,200 (130'×140') वर्गफीट भू–भाग के कुल 06 (छः) भू–खण्ड (यथा भू–खण्ड A, B, C, D, E एवं F) में **"ऊलेन मेला"** के व्यावसायिक आयोजन किये जाने एवं गेट नं० 7 के निकट निर्धारित 70,000 (280'×250') वर्गफीट भू–भाग में **"डिजनीलैण्ड मेला"** आयोजन के निमित्त आरक्षण योग्य देय संभावित तिथि दिनांक 01.12.2026 से अंतिम तिथि दिनांक 10.01.2027 (कुल 41 दिन) तक उक्त भू–भाग के आरक्षण हेतु **दिनांक 30.11.2026 को अपराह्न 03.00 बजे डाक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता का चयन किया जाना है।** अतएव इच्छुक आयोजक उक्त डाक प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी संस्था के Letter Pad पर आवेदन के साथ उक्त मेला से संबंधित वांछित दस्तावेज (डिमांड ड्रॉफ्ट सहित) को श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में **दिनांक 30.11.2026 के मध्याह्न 12.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।**

2.ऊलेन मेला एवं डिजनीलैण्ड मेला से संबंधित वांछित दस्तावेजों की जानकारी श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा इस संबंध में **विस्तृत जानकारी हेतु आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के वेबसाईट पोर्टल www.patnadivision.bih.nic.in** तथा **www.sksvs.bihar.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमण्डल, पटना–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना।

PR. No. 015890 (District) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

ALLOTMENT PLAN FOR DISNEYLAND & WOOLEN MELA

(November-2025 to January-2026)

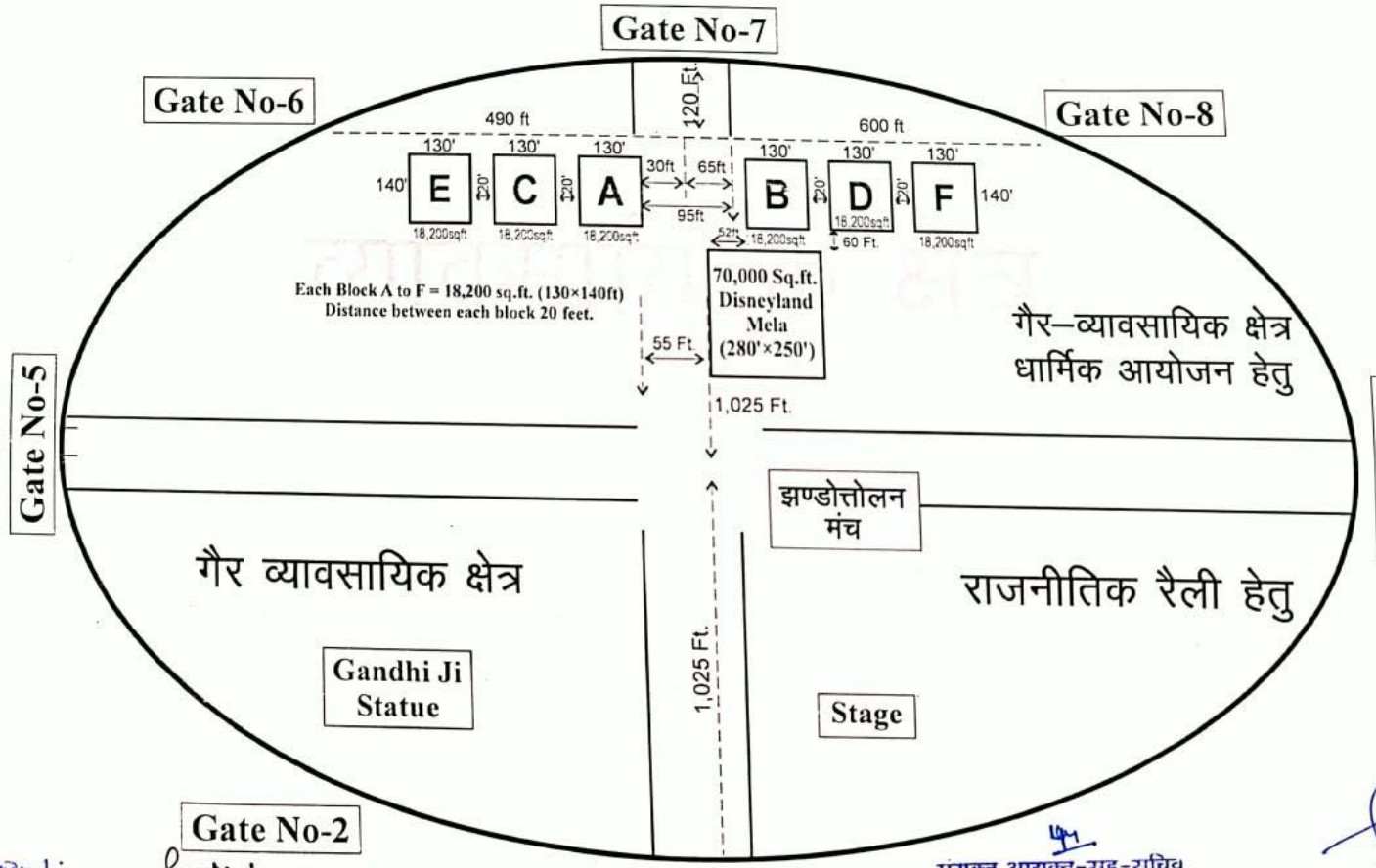

Anand Prajapanshi
ASO- cum- Exchange,
Gandhi Maidan

Prashant
(प्रशान्त)
A.S.O.

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
सह-प्रभारी पदाधिकारी
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना

District Magistrate, Patna
-cum-Chief Executive Officer
SKSVS, Patna

679